



# समाहणालय, अरवल



ई-मेल-dm-arwal.bih@nic.in

वेबसाइट-arwal.bih.nic.in

दूरभाष-फैक्स-06337-228988

पत्रांक- 1126 /पं0निर्वा0

(जिला पंचायत कार्यालय)

दिनांक- 01/09/2021

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी (जि0प0), अरवल।  
प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी (पं0), सोनभद्र-बंशी-सूर्यपुर।

**विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए निर्वाचन की सूचना प्रपत्र-5 का प्रेषण।**


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए निर्वाचन की सूचना-5 अनुसूची-IV संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि इसकी प्रति संबंधित जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालयों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

**अनुलग्नक :- यथोक्त।**

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0),  
अरवल।

आओ बहना, भैया आओ

नशा मुक्त, बिहार बनाओ



**प्रपत्र-5**

(नियम 36 देखिये)

कार्यालय जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०), अरवल।


**निर्वाचन की सूचना**

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जे. प्रियदर्शिनी, भा० प्र० से० जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०)-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट \* ग्राम पंचायत के सदस्यों/\* ग्राम कचहरी के पंचों/\* पंचायत के मुखिया/\* ग्राम कचहरी के सरपंच/\* पंचायत समिति/\* जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित सूचना देती हूँ कि :-

- (क) अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी \* ग्राम पंचायत/\* ग्राम कचहरी/\*पंचायत समिति/\*जिला परिषद अरवल के लिए \* पंचों/\* सदस्यों/\*मुखिया/\*सरपंच के निर्वाचन का संचालन करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी होगा।
- (ख) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि और समय होगा।
- (ग) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा।
- (घ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (10) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा।
- (ङ.) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट, तारीख और समय मतदान की तारीख और समय होगा।
- (च) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट, तारीख और समय मतों की गणना करने की तारीख और समय होगा।
- (छ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा।

**स्थान :- अरवल।**

**तारीख :- 01.09.2021**

  
11/9/2021  
जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०)  
अरवल।

\* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी :- यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्तम्भ (12) में अंकित तारीख और समय एवं स्तम्भ (13) में अंकित स्थानपर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधन कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	*ग्राम पंचायत *ग्राम कवहरी *पंचायत समिति *जिला परिषद का नाम।	पद	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/ अन्य	निर्वाची पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम	नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि (तारीख) और समय।	नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय।	नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय।	वह तारीख तथा वह समय जिसके दौरान मतदान होगा।	मतों की गणना करने की तारीख और समय।	मतों की गणना का स्थान	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिला परिषद अरवल।	सदस्य जिला परिषद	अरवल/ सोनभद्र वकी सूर्यपुर/ प्रा0नि0क्षे0-7	अनारक्षित	महिला	श्री दुर्गा कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल।	अनुमंडल कार्यालय, अरवल स्थित अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष 02.09.2021 (गुरुवार) से 08.09.2021 (शुक्रवार) तक प्रत्येक कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वो से 04:00 बजे अपर तक।	अनुमंडल कार्यालय, अरवल स्थित अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष 11.09.2021 (शनिवार) तक 11:00 बजे पूर्वो से 04:00 बजे अपर तक।	अनुमंडल कार्यालय, अरवल स्थित अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष 13.09.2021 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वो से 04:00 बजे अपर तक।	24.09.2021 (शुक्रवार) को समय 07:00 बजे पूर्वो से 05:00 बजे अपराहन तक।	26.09.2021 एवं 27.09.2021 को पूर्वो 08:00 बजे से	फरोहरपुर सण्डा महाविद्यालय, फरोहरपुर सण्डा (अरवल)।	

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

 J. Talwar

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सांविधिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	पंचायत समिति	पंचायत समिति सदस्य	अरवल/वंशी/पंचायत समिति सदस्य/प्रा0नि0080-10	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	पंचायत समिति	पंचायत समिति सदस्य	अरवल/वंशी/पंचायत समिति सदस्य/प्रा0नि0080-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

 19/09/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-


1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशान-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सालवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हों, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



8	ग्राम पंचायत	मुखिया	अरवल/सोनमढ़ कंशी सूर्यपुर/खटौंगी/प्रा0नि0के0-8	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
---	--------------	--------	---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

 19/09/2021

जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),

अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।





8	ग्राम कचहरी	सरपंच	अरवल/सोनमद्र वंशी सूर्यपुर/खटौंगी का निर्वाचन क्षेत्र-8	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
---	-------------	-------	---	---------------	------	------	------	------	------	------	------

21/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम पंचायत माली	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत माली	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत माली	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत माली	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम पंचायत माली	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-14	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
15	ग्राम पंचायत माली	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-15	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

21/9/2021  
जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-


1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हों, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम पंचायत खड़ासीन	ग्राम पंचायत सरस्य	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत खड़ासीन	ग्राम पंचायत सरस्य	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत खड़ासीन	ग्राम पंचायत सरस्य	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत खड़ासीन	ग्राम पंचायत सरस्य	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

  
 जिला पदाधिकारी-सह-  
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
 अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम पंचायत शेरपुर	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / शेरपुर पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-10	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत शेरपुर	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / शेरपुर पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-11	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल ।

तारीख - 01.09.2021

 1/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल ।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत आता है तब "अन्तर्गत आता है" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।






10	ग्राम पंचायत सोनमद्र	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / सोनमद्र पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत सोनमद्र	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / सोनमद्र पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत सोनमद्र	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / सोनमद्र पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत सोनमद्र	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / सोनमद्र पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-13	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम पंचायत सोनमद्र	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / सोनमद्र पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-14	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।

 11/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।



10	ग्राम पंचायत अनुओं	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / अनुओं पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत अनुओं	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / अनुओं पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत अनुओं	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / अनुओं पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत अनुओं	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / अनुओं पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-13	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम पंचायत अनुओं	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल / वंशी / अनुओं पंचायत / प्रा0नि0क्ष0-14	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

21/9/2021  
जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।


\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम पंचायत बलौरा	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत बलौरा	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत बलौरा	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत बलौरा	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

  
17/9/2021  
जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र देखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम पंचायत चमंडी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-10	पिछड़ा वर्ग	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत चमंडी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-11	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत चमंडी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत चमंडी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-13	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम पंचायत चमंडी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-14	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
15	ग्राम पंचायत चमंडी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-15	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

 17/10/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।






10	ग्राम पंचायत खटौंगी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/खटौंगी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम पंचायत खटौंगी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/खटौंगी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम पंचायत खटौंगी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/खटौंगी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम पंचायत खटौंगी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/खटौंगी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	पिछड़ा वर्ग	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम पंचायत खटौंगी	ग्राम पंचायत सदस्य	अरवल/वंशी/खटौंगी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-14	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

  
 जिला पदाधिकारी-सह-  
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
 अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-


1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हों, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार, (तारीख) तक"।



10	ग्राम कचहरी माली	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0 सं0-10	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कचहरी माली	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0 सं0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कचहरी माली	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0 सं0-12	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कचहरी माली	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0 सं0-13	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम कचहरी माली	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0 सं0-14	अनुप्राप्ति जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
15	ग्राम कचहरी माली	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/माली पंचायत/प्रा0नि0क्ष0 सं0-15	अनुप्राप्ति जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

 17/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),

अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम कचहरी खड़ासीन	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कचहरी खड़ासीन	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कचहरी खड़ासीन	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कचहरी खड़ासीन	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/खड़ासीन पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

11/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम कवहरी शेरपुर	ग्राम कवहरी पंच	अरवल/वंशी/शेरपुर पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	पिछड़ा वर्ग	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कवहरी शेरपुर	ग्राम कवहरी पंच	अरवल/वंशी/शेरपुर पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

 19/09/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।






10	ग्राम कचहरी सोनमद्र	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/सोनमद्र पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कचहरी सोनमद्र	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/सोनमद्र पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कचहरी सोनमद्र	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/सोनमद्र पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कचहरी सोनमद्र	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/सोनमद्र पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम कचहरी सोनमद्र	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/सोनमद्र पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-14	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल ।

तारीख - 01.09.2021

  
 जिला पदाधिकारी-सह-  
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
 अरवल ।


\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम कचहरी अनुओं	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/अनुओं पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-10	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कचहरी अनुओं	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/अनुओं पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-11	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कचहरी अनुओं	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/अनुओं पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कचहरी अनुओं	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/अनुओं पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-13	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम कचहरी अनुओं	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वंशी/अनुओं पंचायत/प्रा0नि0क्षे0-14	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल ।  
तारीख - 01.09.2021

  
 11/9/2021  
 जिला पदाधिकारी-सह-  
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
 अरवल ।


\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम कचहरी बलौरा	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/बशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कचहरी बलौरा	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/बशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कचहरी बलौरा	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/बशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कचहरी बलौरा	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/बशी/बलौरा पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।  
तारीख - 01.09.2021

  
 जिला पदाधिकारी-सह-  
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
 अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।



10	ग्राम कचहरी चमंडी	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-10	पिछड़ा वर्ग	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कचहरी चमंडी	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-11	अनारक्षित	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कचहरी चमंडी	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-12	अनुसूचित जाति	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कचहरी चमंडी	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-13	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम कचहरी चमंडी	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-14	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
15	ग्राम कचहरी चमंडी	ग्राम कचहरी पंच	अरवल/वशी/चमंडी पंचायत/प्रा0नि0क्ष0-15	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल |

तारीख - 01.09.2021

 17/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल |

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सांख्यिक अवकाश का दिन न हों, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।





10	ग्राम कहचरी खटाँगी	ग्राम कहचरी पंच	अरवल/वंशी/खटाँगी पंचायत/प्रा0नि0 १०-10	अनुसूचित जाति	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
11	ग्राम कहचरी खटाँगी	ग्राम कहचरी पंच	अरवल/वंशी/खटाँगी पंचायत/प्रा0नि0 १०-11	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
12	ग्राम कहचरी खटाँगी	ग्राम कहचरी पंच	अरवल/वंशी/खटाँगी पंचायत/प्रा0नि0 १०-12	अनारक्षित	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
13	ग्राम कहचरी खटाँगी	ग्राम कहचरी पंच	अरवल/वंशी/खटाँगी पंचायत/प्रा0नि0 १०-13	पिछड़ा वर्ग	अन्य	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
14	ग्राम कहचरी खटाँगी	ग्राम कहचरी पंच	अरवल/वंशी/खटाँगी पंचायत/प्रा0नि0 १०-14	पिछड़ा वर्ग	महिला	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

स्थान - अरवल।

तारीख - 01.09.2021

21/9/2021

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
अरवल।

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
टिप्पणी :-

1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिला करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस साल के अंतिम दिन तक होगी जो सावजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।